15-1-2025 सरवी बोरिए। हाजिर होकर सर्वेना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि वाद पत्र 352/2008 दिनांक 26.2.2021 को अन्तर सरपंच मय पैरवी में स्वीकार हुआ। उक्त सरपंच ने मेरे अधिवक्ता बाबूलाल पेढी बताते हैं कि चूंकि की पिछले कुछ पेशी की पालनाती नहीं की पिछले सरपंच स्वीकार हुआ। अन्तः वे निवेदन करता कि वाद पत्र कायम पर लिया जाकर मूल वाद के पुनर्गठ का अवसर प्रदान किया जावे। इसने प्रत्यावेदी का अवलोकन किया। सरवी का सर्वेना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः सरवी का सर्वेना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद 352/2008 पुनः कायम पर लिया जाता है। पत्रावली कैलाश कुमार डेमर कायम के क्रम हो भावेना कुमाया गया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़